

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 28.03.2017 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 04 में मुद्रित प्रश्न संख्या 10 (2084) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर से सम्बन्धित परिशिष्ट "चार" के प्रपत्र "अ" के (2) पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के अन्तर्गत वर्ष-2015 की तालिका के सरल क्रमांक-3 के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित "दिनांक 19.11.2015" के स्थान पर "दिनांक 09.11.2015" व वर्ष-2016 की तालिका के सरल क्रमांक-1 के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित "दिनांक 18.09.2016" के स्थान पर "दिनांक 17.09.2016" तथा वर्ष-2017 की तालिका के सरल क्रमांक-1 के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित "दिनांक 16.02.2016" के स्थान पर "दिनांक 16.02.2017" संशोधित कर पढ़ा जावे।



(रामसेवक पैकरा)

मंत्री, गृह

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

- | | | |
|---|---|----------------|
| (1) प्रश्न क्रमांक | - | 2772 |
| (2) विभाग से उत्तर प्राप्त होने की अंतिम तिथि | - | 21 / 03 / 2017 |
| (3) सदन में उत्तर देने की तिथि | - | 28 / 03 / 2017 |
| (4) वर्ग जिसके लिये वह तिथि नियत है | - | वर्ग- 03 |

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

विषय:-बस्तर शहरी सार्वजनिक यातायात सोसायटी जगदलपुर के द्वारा संचालित सिटी बस।

श्री टी.एस. सिंहदेव

तारांकित प्रश्न

क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

- (क) बस्तर शहरी सार्वजनिक यातायात सोसायटी जगदलपुर के द्वारा बस्तर संभाग के किन-किन जिलों में कितनी-कितनी सिटी बसें संचालित की जा रही है ?
- (ख) बस्तर संभाग में सिटी बसों को संचालन करने किन-किन शर्तों के तहत कौन-कौन से आपरेटर नियुक्त किये गये हैं ?
- (ग) क्या जिन शहरों में सिटी बसों का संचालन किया जा रहा है वहां बस पार्किंग टर्मिनल निर्माण हेतु केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा राशि स्वीकृत की गई है ? यदि हां तो कितनी राशि ? क्या उन शहरों में स्थल चयन कर बस पार्किंग टर्मिनल का निर्माण करा लिया गया है ? यदि नहीं तो कब तक निर्माण करा लिया जायेगा ?

उत्तर

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अमर अग्रवाल)

- (क) बस्तर शहरी सार्वजनिक यातायात सोसायटी के द्वारा जगदलपुर कलस्टर में 09 बस, दंतेवाड़ा कलस्टर में 04 बस, कोण्डागांव कलस्टर में 04 बस तथा कांकेर कलस्टर में 08 बसों का संचालन किया जा रहा है।
- (ख) बस्तर संभाग में सिटी बसों के संचालन हेतु निर्धारित शर्तों की जानकारी परिशिष्ट 'अ' तथा नियुक्त ऑपरेटरों की जानकारी परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।
- (ग) बस्तर अरबन एग्लोमरेशन में सिटी बस योजनान्तर्गत शामिल शहरों में से केवल कलस्टर शहरों जगदलपुर, कांकेर, कोण्डागांव एवं दंतेवाड़ा में बस डिपो टर्मिनल निर्माण हेतु राशि स्वीकृत की गई है। जगदलपुर, कांकेर, कोण्डागांव एवं दंतेवाड़ा कलस्टर का स्थल चयन तथा निर्माण पूर्ण की संभावित तिथि की जानकारी परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

अनुमान अधिकारी
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
नगर मंत्रालय, छत्तीसगढ़
राजपुर, छत्तीसगढ़

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 2772


**बस्तर शहरी सार्वजनिक यातायात सोसायटी अंतर्गत सिटी बस सर्विस आपरेटर के
चयन निर्धारित नियम एवं शर्तें**

(अ) बसों का संचालन

1. आपरेटर को सुनिश्चित करना है कि सिटी बस अधिसूचित मार्ग पर ही चले।
2. बस संचालन विभिन्न रूट पर प्राधिकारी द्वारा दिये गए अनुसार तथा समय-समय पर पुनरीक्षित करना होगा।
3. राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किराया सूची अनुसार यात्री किराया लेकर टिकिट प्रदाय करना होगा।
4. बस संचालन की आदेश तिथि के बाद किसी भी समय बसों को पूरे स्टाफ एवं सहस्टाफ के साथ तैयार रखना होगा।
5. निर्धारित समय पर ही प्रति माह बस रॉयल्टी फीस प्राधिकारी को भुगतान करना साथ ही साथ प्राधिकारी द्वारा किसी तरह की पैनाल्टी लगाती है तो निश्चित समय पर ही भुगतान करना।
6. निर्धारित संख्या में इलेक्ट्रॉनिक टिकिटींग मशीन (ETM) उपलब्धता सुनिश्चित कर मशीनों का संधारण सुनिश्चित करें।
7. कंट्रोल सेंटर से सभी बसों के परिचालन रूटों में तथा सह चालक को दिये गए निर्देश का पालन करना।
8. परमिट/लाईसेंस फीस आपरेटर द्वारा वाहन करना होगा तथा रूट लाईसेंस प्राधिकारी द्वारा किया जावेगा।
9. सभी तरह का बीमा जैसे :- वाहन बीमा यात्री बीमा किसी वित्तीय अनुबंध, भारत का नियम के अंतर्गत कराते हुए वाहन करना होगा।
10. आपरेटर द्वारा विभिन्न मानिटरो एवं संचालन उपकरण से प्राप्त डाटा को सुरक्षित तथा गोपनीय रखेगा। जो प्राधिकारी के नाम से सुरक्षित होगा।

(ब) बसों का मरम्मत एवं संधारण

1. सोसायटी (अरबन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सोसायटी) द्वारा उपलब्ध काराये गए बसों का मरम्मत एवं संधारण करना।
2. समय-समय पर फिटनेस प्रमाण पत्र प्राधिकारी को प्रस्तुत करना, जिससे बसों का संचालन ठीक तरह से हो रहा है।
3. परीक्षित व्यवसायिकों से बसों का मरम्मत करना एवं प्राधिकारी द्वारा दिये गए उपलब्ध डिपो में मरम्मत की सुविधा उपलब्ध कराना।
4. बस निर्माता द्वारा दिये गए मानक के अनुसार बसों का मरम्मत सुनिश्चित करना तथा व्यय किये गए संपूर्ण भाग को वहन करना। जितना समयावधि के लिए बस दिया गया है तथा कोई अन्य अतिरिक्त क्लेम प्राधिकारी से नहीं करेगा।
5. आपरेटर द्वारा मीडिया विज्ञापन का कार्य, बस डिपो तथा अन्य पर संचालन एवं संधारण प्राधिकारी द्वारा दिये गए निर्देश पर करना होगा। सर्विस प्रोवाइडर द्वारा राजस्व विज्ञापन को बस के आंतरिक एवं बाह्य सतह में शोयर करते हुए प्राधिकारी द्वारा करना होगा।
6. कंट्रोल सेंटर की स्थापना एवं संधारण कार्य प्रशिक्षित व्यक्तियों से करना जो प्राधिकारी द्वारा एवं आपरेटर स्टाफ से सम्पर्क करेगा।


अनुभाग अधिकारी
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
नया मंत्रालय, महानदी भवन
राजधर (छ.ग.)

7. बस संचालक को संचालन में सभी तरह के व्यय जैसे :- तेल, आयल, डुब्लीकेट, टायर ट्यूब, इस्पेयर पार्ट, रिपेयर्स, ड्रायवर सैलेरी, परिचालक सैलेरी, तथा समस्त स्टाफ, ठेके को भुगतान इत्यादि को वहन करना होगा।

(स) ठेके की अवधि

1. बस संचालन तथा संधारण हेतु आपरेटर तथा प्राधिकारी के मद किये गए अनुबंध अनुसार 10 वर्षों में करना होगा।
2. आपरेटर को सभी बसों के पूरे ठेका अवधि तक सर्विस उपलब्ध करना होगा।
3. प्राधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार चालक, सहचालक एवं अन्य को निर्धारित यूनिफार्म में आपरेटर नियुक्त करेगा।
4. बस आपरेटर द्वारा सभी तरह के संचालन एवं संधारण व्यय जैसे :- रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स, बीमा, पीयूसी एवं अन्य जो भी व्यय होंगे सभी प्रकार का वहन किये जायेंगे।
5. मरम्मत संधारण हेतु सभी तरह के उपकरणों तथा यूनिट को संधारित रखेगा।
6. बसों पर स्थापित उपकरणों को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएगा तथा प्राधिकारी को या अधिकृत व्यक्ति को स्थापित उपकरणों को देखभाल में सहयोग करेगा।
7. आपरेटर द्वारा बसों के संचालन प्रशिक्षित चालकों सह चालकों को उपयुक्त विधि से भर्ती तथा प्राधिकारी से उसका मॉनिटरिंग करायेगा।
8. आपरेटर नियमित सप्ताहिकी/माहवारी रिपोर्ट निर्धारित कॉलम में भरकर प्राधिकारी के पास समय-समय पर जमा करेगा।
9. आपरेटर कोई अन्य उप आपरेटर (सबलेट) नहीं रखेगा।
10. आपरेटर किसी भी प्रकार का ऋण बस सर्विस से लिज, किराया, व्यवसाय हेतु नहीं ले सकेगा।

(द) यात्री शुल्क का निर्धारण एवं एकात्रीकरण


1. प्राधिकारी द्वारा यात्री किराया का निर्धारण किया जावेगा एवं राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किया जावेगा।
2. आपरेटर द्वारा अधिसूचित किराया को ही चार्ज करना होगा।

(ई) बस स्टाफ टर्मिनल तथा डिपो

1. प्राधिकारी ही बस डिपो/टर्मिनल, बस स्टॉप लोकेशन को निर्धारित करेगा।
2. प्राधिकारी डिपो एवं टर्मिनल में मूल-भूत सुविधाएं स्थल पर उपलब्ध करायेगा।
3. आपरेटर केवल बसों का मरम्मत तथा पार्किंग हेतु मात्र बस डिपो का उपयोग करेगा।
4. आपरेटर सभी तरह के स्तर में डिपो मरम्मत के लिए जिम्मेदार होंगे।

(फ) संचालन में पेनाल्टी

1. पेनाल्टी की गणना निर्धारण प्राधिकारी द्वारा निम्नानुसार अनुबंधित सर्विस लेवल एग्रीमेंट के अनुसार किया जायेगा।
2. प्राधिकारी किसी भी तरह के सिटीजन क्लेम/न्यायालयीन एवं अन्य द्वारा किये गए वाद के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी आपरेटर की होगी।



अनुभाग अधिकारी
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
नया भवन, महानदी भवन
रायपुर (उ.प्र.)


विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 2772

बस्तर शहरी सार्वजनिक यातायात सोसायटी अंतर्गत नियुक्त आपरेटर की जानकारी

| क्रं. | सिटी बस कलस्टर का नाम | नियुक्त आपरेटर का नाम |
|-------|-----------------------|--|
| 1 | जगदलपुर | मेसर्स प्रियांश बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, जगदलपुर |
| 2 | दंतेवाडा | श्री अब्दुल जमील, जगदलपुर |
| 3 | कोण्डगांव | श्री अब्दुल जमील, जगदलपुर |
| 4 | कांकेर | श्री रजत चतुर्वेदी, कांकेर |

बस्तर शहरी सार्वजनिक यातायात सोसायटी अंतर्गत सिटी बस पार्किंग टर्मिनल निर्माण की अद्यतन जानकारी

| क्रं. | सिटी बस कलस्टर का नाम | कुल स्वीकृत राशि | स्थल चयन की अद्यतन स्थिति | निर्माण पूर्ण करने की संभावित तिथि | रिमार्क |
|-------|-----------------------|------------------|---------------------------|------------------------------------|--|
| 1 | जगदलपुर | 60.00 लाख | पूर्ण | 30.06.2017 | - |
| 2 | दंतेवाडा | 30.00 लाख | पूर्ण | - | कार्यपूर्ण |
| 3 | कोण्डगांव | 24.00 लाख | पूर्ण | 30.06.2017 | |
| 4 | कांकेर | 60.00 लाख | प्रगति पर | - | स्थल चयन अद्यतन नहीं होने के कारण निर्माण कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि बताया जाना सम्भव नहीं है। |


 अनुभाग अधिकारी
 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
 नया मंत्रालय, महानदी भवन
 रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
प्रश्न

- | | | |
|-----|---|--------------|
| (1) | प्रश्न क्रमांक | — 2914 |
| (2) | विभाग से उत्तर प्राप्त होने की अंतिम तिथि | — 21/03/2017 |
| (3) | सदन में उत्तर देने की तिथि | — 28/03/2017 |
| (4) | वर्ग जिसके लिए वह तिथि नियत है | — वर्ग -03 |

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

विषय :- प्रदेश में राजपत्रित अधिकारी एवं उच्च श्रेणी के अधिकारियों की विभागीय जाँच के संबंध में ।

श्री केशव चन्द्रा

अतारांकित प्रश्न

क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारी एवं उससे उच्च श्रेणी के कितने अधिकारियों की विभागीय जाँच की जा रही है ? नाम, पद सहित जाँच अधिकारी का नाम एवं पद भी बतायें ?

मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, (श्री रामसेवक पैकरा)

उत्तर

- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारी एवं उससे उच्च श्रेणी के 10 अधिकारियों की विभागीय जाँच की जा रही है। जानकारी परिशिष्ट "अ" में दर्शित अनुसार है।


रामसेवक पैकरा
मंत्री

छत्तीसगढ़ शासन
गृह, जेल एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी


पुनरीक्षित उत्तर

परिशिष्ट-"अ"

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक-2914

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अंतर्गत प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारी एवं उससे उच्च श्रेणी के अधिकारियों जिनके विरुद्ध विभागीय जॉब की जा रही है उनके नाम, पद सहित जॉब अधिकारी का नाम एवं पद की जानकारी

| स.क्र. | नाम | पदनाम | जॉब अधिकारी का नाम एवं पद | रिमार्क |
|--------|-------------------------------|--|--|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | श्री एच.के. हिंगोरानी(से.नि.) | मुख्य अभियंता | विभागीय जॉब आयुक्त, रायपुर छ0ग10 | - |
| 2. | श्री व्ही.के. उरमालिया | कार्यपालन अभियंता | विभागीय जॉब आयुक्त, रायपुर छ0ग10 | - |
| 3. | श्री एस.के. चन्द्रा | कार्यपालन अभियंता | विभागीय जॉब आयुक्त, रायपुर छ0ग10 | - |
| 4. | श्री भीम सिंह | कार्यपालन अभियंता वर्तमान में-प्रभारी अधीक्षण अभियंता | विभागीय जॉब आयुक्त, रायपुर छ0ग10 | - |
| 5. | श्री ए.के.साहू | अधीक्षण अभियंता | विभागीय जॉब आयुक्त, रायपुर छ0ग10 | - |
| 6. | श्री परीक्षित चौधरी | कार्यपालन अभियंता | श्री एच. आर. मर्सकोले अधीक्षण अभियंता | जॉबकर्ता अधिकारी से जॉब प्रतिवेदन प्राप्त। |
| 7. | श्री एम.के. मिश्रा | कार्यपालन अभियंता | डॉ0 एम0एल0 अग्रवाल मुख्य अभियंता | - |
| 8. | श्री जगदीश कुमार | कार्यपालन अभियंता | मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी परिक्षेत्र -रायपुर | - |
| 9. | श्री जे.के. शर्मा | अधीक्षण अभियंता | - | आरोप-पत्र जारी, प्रतिवाद प्राप्त। |
| 10. | श्री आर्ह.पी. मण्डावी | कार्यपालन अभियंता | - | आरोप-पत्र जारी, प्रतिवाद अप्राप्त। |


अनुभाष अधिकारी
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
संज्ञालय, महानदी भवन नया रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

शुद्धि-पत्र

दिनांक 27 मार्च, 2017 को प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :-

| प्रश्न संख्या एवं क्रमांक | अशुद्ध | शुद्ध |
|-------------------------------------|--|--|
| तारांकित प्रश्नोत्तर | | |
| ता.प्र.सं. 4 (क्र. 2748) उत्तर (क) | उत्तर † संलग्न प्रपत्र "अ" में दर्शित है. | जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" में दर्शित है. |
| ता.प्र.सं. 4 (क्र. 2748) उत्तर (ख) | उत्तर † संलग्न प्रपत्र "ब" में दर्शित है. | जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" में दर्शित है. |
| ता.प्र.सं. 6 (क्र. 2714) प्रश्न | डा. खिलावन साहू | डॉ. खिलावन साहू |
| ता.प्र.सं. 6 (क्र. 2714) उत्तर (क) | उत्तर †† संलग्न प्रपत्र "अ" में दर्शित है. | जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "अ" में दर्शित है. |
| ता.प्र.सं. 8 (क्र. 157) शीर्षक | केन्द्रीय बैंक | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक |
| ता.प्र.सं. 9 (क्र. 2529) प्रश्न (क) | कितनी ग्राम पंचायते | कितनी ग्राम पंचायतें |
| ता.प्र.सं. 13 (क्र. 2782) उत्तर (क) | होम्योपैथिक एवं आयुर्वेदिक | होम्योपैथिक एवं आयुर्वेदिक |
| ता.प्र.सं. 17 (क्र. 203) उत्तर (क) | प्रबिंधित दवाओं | प्रतिबंधित दवाओं |
| ता.प्र.सं. 17 (क्र. 203) उत्तर (ख) | 15 संस्थाओं की | 15 संस्थाओं की |
| ता.प्र.सं. 24 (क्र. 377) उत्तर (क) | विधान सभा अंतर्गत | विधान सभा के अंतर्गत |

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

| | | |
|---|---|---|
| ता.प्र.सं. 6 (क्र. 2714) परिशिष्ट "तीन" / प्रपत्र-"ब" / पृ.क्र.-39 / शीर्षक | | वर्ष 2013-14 से 28/02/2017 तक जनपद पंचायतों द्वारा सकृती विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में कराए गए कार्य की जानकारी |
| ता.प्र.सं. 12 (क्र. 1692) परिशिष्ट "पांच" / प्रपत्र-"अ" / पृ.क्र.-43 / शीर्षक | प्रपत्र-"ब" कोटा विकासखण्ड के अंतर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थ ए.एन.एम. की जानकारी | |
| ता.प्र.सं. 12 (क्र. 1692) परिशिष्ट "पांच" / प्रपत्र-"ब" / पृ.क्र.-44 / शीर्षक | | प्रपत्र-"ब" गौरेला विकासखण्ड के अंतर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थ ए.एन.एम. की जानकारी |

स्थान : विधान सभा भवन,
रायपुर

दिनांक : 26 मार्च, 2017

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा